भारत सरकार
जल शक्ति मंत्रालय
पेयजल एवं स्वच्छता विभाग

लोक सभा
तारांकित प्रश्न संख्या. *67 (7वीं स्थिति)
दिनांक 06.02.2020 को उत्तर दिए जाने के लिए

जल जीवन मिशन

***67. श्री पी.सी. गद्दीगौदरः**

क्या **जल शक्ति मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) उन ग्रामीण घरों की संख्या कितनी है जिनमें जलापूर्ति हेतु नल कनेक्शन प्रदान किए गए हैं और ऐसे घरों की अनुमानित संख्या कितनी है जिनमें ये कनेक्शन अभी प्रदान किए जाने हैं;

(ख) क्या सरकार ने जल जीवन मिशन (जे.जे.एम.) हर घर जल योजना का क्रियान्वयन प्रारंभ कर दिया है;

(ग) यदि हां, तो इसकी मुख्य विशेषताओं सहित तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इस पर होने वाला अनुमानित व्यय कितना है; और

(घ) देश में सभी ग्रामीण घरों में नल से जल आपूर्ति कब तक किए जाने की संभावना है?

उत्तर
जल शक्ति मंत्री
(श्री गजेन्द्र सिंह शेखावत)

(क) से (घ) विवरण सदन के पटल पर रख दिया गया है।

दिनांक 06.02.2020 के लोक सभा तारांकित प्रश्न संख्या *67 के उत्तर में उल्लिखित विवरण।

(क) जैसा राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों द्वारा सूचित किया गया है, दिनांक 01.04.2019 की स्थिति के अनुसार, लगभग 3.27 करोड़ ग्रामीण परिवारों को पाइपलाइन जल आपूर्ति (पीडब्ल्यूएस) की मार्फत जल कनेक्शनों से कवर किया गया था तथा 14.60 करोड़ ग्रामीण परिवारों को पीडब्ल्यूएस की मार्फत नल कनेक्शनों से कवर किया जाना था।

(ख) और (घ) जल हाँ। भारत सरकार ने अगस्त, 2019 में जल जीवन मिशन की शुरूआत की है जिसका उद्देश्य 3.60 लाख करोड़ रुपए के परिव्यय से वर्ष 2024 तक कार्यशील घरेलू नल कनेक्शनों की मार्फत प्रत्येक ग्रामीण परिवार को 55 लीटर प्रति व्यक्ति प्रति दिन (एलपीसीडी) मात्रा में पेयजल उपलब्ध कराना है।

इस मिशन को राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों के साथ मिलकर कार्यान्वित किया जा रहा है जिसमें केंद्र सरकार वित्तीय और तकनीकी सहायता उपलब्ध कराएगी। जल जीवन मिशन जोकि एक केंद्रीय प्रायोजित कार्यक्रम है, के तहत केंद्र और राज्यों के बीच वित्तपोषण का अनुपात विधान सभा वाले हिमालयी, पूर्वोत्तर के राज्यों तथा केंद्र शासित प्रदेशों के लिए 90:10 का होगा, विधान सभा रहित केन्द्र शासित प्रदेशों के लिए केंद्र सरकार की हिस्सेदारी 100% होगी तथा शेष राज्यों के लिए यह अनुपात 50:50 का होगा।

भारत के संविधान के 73वें संशोधन के अनुरूप, जल जीवन मिशन के तहत, ग्राम पंचायतों और/अथवा उनकी उपसमितियों अर्थात् गांव जल एवं स्वच्छत समितियों (वीडब्ल्यूएससी)/पानी समितियों/प्रयोक्ता समूहों आदि द्वारा गांवों में जल आपूर्ति अवसंरचना की आयोजना, कार्यान्वयन, प्रबंधन, प्रचालन एवं रखरखाव किया जाएगा। इससे यह सुनिश्चित होगा कि दीर्घकालीन स्थायीत्व एवं पेयजल सुरक्षा के लिए स्थानीय समुदाय जल आपूर्ति प्रणाली का स्वामित्व एवं प्रबंधन करें।

******